

# सलमान के विदेश जाने में अड़चन, राहत की गुहार

जोधपुर. दैशर पुलिस लाइन के क्वार्टर में शुक्रवार को सदिग्ध हालात में एक महिला कांटेबल के पति की मौत हो गई। करवड़ थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड गठित करवाया, लेकिन अधेंर होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पति की मौत के बाद कांटेबल पत्नी की भी तबीयत बिंगड़ गई।

चाढ़ी में लक्ष्मण नगर निवासी मांगीलाल (23) पुत्र भागीरथराम विश्वोई की दोपहर में अचानक तबीयत खराब हो गई। सूचना पर पिता व अन्य मांगीलाल को अस्पताल लेकर आए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट अथवा कोई अन्य निशान नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि मृतक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करता था और उसकी पत्नी शातिदेवी ग्रामीण पुलिस में कांटेबल है। कुछ माह पहले ही उसका गौना हुआ था। वह पत्नी के साथ ग्रामीण लाइन के क्वार्टर में रह रहा था। पति की मौत का पता चलते ही कांटेबल शाति का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उसकी तबीयत बिंगड़ गई, उसे एमजीएच में भर्ती करवाया गया। ऐसे में पुलिस को उससे भी मामले के संबंध में कोई जानकारी नहीं पिल पाई।

जोधपुर. हरिण शिकार प्रकरण में लम्बित आपराधिक विविध याचिका फंसे फिल्म अभिनेता सलमान खान में अधिवक्ता लेखराज मेहता व रमित ने राजस्थान उच्च न्यायालय से विदेश मेहता के माध्यम से प्रार्थना पत्र पेश

जाने में बाधक कर कहा कि वह फिल्म अभिनेता है। बन रहे निचली उनकी कई फिल्मों की शूटिंग देश-अदालत के विदेश में होती है। हाईकोर्ट ने उनको आदेश पर रोक विदेश जाने की अनुमति दे रखी है, लगाने की गुहार लेकिन निचली अदालत द्वारा पारित लगाई है। कन्वीक्षण का ऑर्डर उनके विदेश हाईकोर्ट ने जाने में बाधक बन रहा है। लिहाजा, हाईकोर्ट इस आदेश पर रोक लगाकर अथवा अन्य निर्देश जारी कर उनको राहत प्रदान करे। ताकि अन्य देशों के सलमान के इस प्रार्थना पत्र पर 12 नवम्बर को सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, हाल ही में सलमान खान का बीजा आवेदन ब्रिटेन ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उनको अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुना रखी है। दस वर्ष की बीजा अवधि समाप्त होने पर उन्होंने नवीनीकरण का आवेदन किया था। जिसको यूके के इमिग्रेशन रूल्स के अधार पर खारिज कर दिया गया। जिस पर सलमान खान ने हाईकोर्ट में



(विधि संचादकारी)